न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर खण्डपीठ भोपाल (म.प्र.) 353

III/निगरानी/सीहोर/भू.रा./2017/3894

निगरानी 17

(146)

अभिभाषक श्री पी.एन. शुक्ला द्वारा आज दिनांक 20/9/2017 को पेश।

अधीक्षक

1– केदार प्रसाद 2– शिवप्रसाद

3– कुमेर सिंह 4– सुनेर सिंह

5– द्वारिका प्रसाद सभी के पिता नन्नू लाल जाति कलोता, सभी कृषक आयु वयस्क निवासी ग्राम रूजनखेड़ी टप्पर, तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.)

6– गोकुल प्रसाद आत्मज हरिप्रसाद पवार आयु वयस्क निवासी ग्राम रूजनखेड़ी टप्पर, तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.) निगरानीकर्तागण/आवेदकगण

विरूद्ध

रामेश्वर प्रसाद पिता नन्नू लाल जाति कलोता, कृषक आयु वयस्क निवासी ग्राम रूजनखेड़ी टप्पर, तहसील नसरूल्लागंज, जिला सीहोर (म.प्र.)

गैरनिगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता

निगरानीकर्ताण माननीय अधीनस्थ न्यायालय, तहसीलदार तहसील नसरूल्लागंज जिला सीहोर के प्रकरण क्रमांक 10/ए13/09-10 रामेश्वर प्रसाद वि0 शिवप्रसाद ग्राम रूजनखेड़ी के प्रकरण में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 03-08-17 एवं पूर्व में दिए गए आदेश 29-02-12 से दुखित एवं असन्तुष्ट होकर माननीय महोदय के समक्ष निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक पी | निग | सीहोर | भू.रा. | 17 | 3894, केदार | रामेश्वर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
20/12/18	आवेदक की ओर से श्री पी. एन. शुक्ला अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार नसरुल्लागंज, सीहोर के प्रकरण क्रमांक 01/अ-13/09-10 में पारित आदेश दिनांक 03/08/17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03/01/19 को कलेक्टर जिला सीहोर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	